



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत अभियुक्त को हुई दस वर्ष कारावास
व अर्थदंड की सजा

दिनांक:-22.09.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 22.09.2021 को माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर 10 वर्ष कठोर कारावास एवम् 32,000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना सिधौली से सम्बन्धित मु0अ0सं0 58/15 धारा 376/506 भादवि व 4 पाक्सो एक्ट बनाम सलीम पुत्र कलीम निवासी मोहल्ला प्रेमनगर थाना सिधौली जनपद सीतापुर में सिधौली पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 22.09.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय A.S.J (पाक्सो कोर्ट) कोर्ट संख्या-14 सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त सलीम उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष कठोर कारावास व 30,000/-रुपये अर्थदंड व धारा 506 भादवि में 02 वर्ष कठोर कारावास व 2,000/-रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

